

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -63/2010/सिरोही

अपील संख्या -64/2010/सिरोही

अपील संख्या -65/2010/सिरोही

मैसर्स शिव साई नाथ रबड इण्ड.

आबूरोड

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणज्यिक कर अधिकारी

विशेष वृत्त-पाली.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री वी.सी.सोगन्नी
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 24/07/2014

निर्णय

ये तीनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 54, 05 एवं 53/आरएसटी/सिरोही/ 09-10, 08-09 एवं 09-10 में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 27.11.2009 के विरुद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 37 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी "हवाई चप्पल" का कारोबार करता है। राज्य सरकार द्वारा 'वी' आकार की हवाई चप्पलों पर देय कर के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत कम्पोजीशन स्कीम, 1999 जरिए राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफडी/टैक्स डिवी/99-229 दिनांक 4.6.99 अधिसूचित की गई थी, जिस पर अपीलार्थी व्यवहारी ने कम्पोजीशन योजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, पाली (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 99-2000 से 03-04 के लिए 5 वर्ष की अवधि के कम्पोजीशन राशि का निर्धारण क्लॉज 2(1) के अनुसार किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी को दिया गया यह कम्पोजीशन प्रमाण पत्र इस योजना के क्लॉज 4 के अनुसार दिये गये कम्पोजीशन प्रमाण पत्र के अन्तिम वर्ष में जारी किये गये कम्पोजीशन प्रमाण पत्र को रिन्यू किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 03.03.2004 को प्रस्तुत किया, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 03-04 के लिए घोषित टर्न ओवर को आधार पर मानकर वर्ष 04-05 व आगे के वर्षों के लिए कम्पोजीशन राशि का निर्धारण किया।


उक्त प्रकार से निर्धारित कम्पोजीशन से सम्बन्धित पत्रावलियों के अवलोकन पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी की वर्ष 04-05 के लिए कम्पोजीशन राशि वर्ष 03-04 की कम्पोजीशन राशि में 110 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए निर्धारित नहीं करके गणना की त्रुटि से वर्ष 03-04 के लिए घोषित टर्नओवर की राशि को आधार मानकर कर दिया गया है। कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार उसके पूर्ववर्ती अधिकारी द्वारा इस प्रकार से वर्ष 04-05 के लिए कम्पोजीशन राशि में गणना सम्बन्धी की त्रुटि होने से कम निर्धारित करना, अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत रेकार्ड से प्रकट स्पष्ट भूल मानते हुए दिनांक 6.2.2008 को आदेश पारित कर वर्ष 04-05 के लिए पूर्व निर्धारित कम्पोजीशन राशि में रू. 1901230/- से बढ़ाकर रू. 2476071/- कर दिया तथा प्रशमन राशि रू. 574841/- कम जमा होने के कारण ब्याज रू. 235684/- आरोपित कर दिया तथा इसी प्रकार वर्ष 05-06 में पूर्व निर्धारित कम्पोजीशन राशि रू. 2091353/- से बढ़ा कर 2723678/- कर दिया तथा प्रशमन राशि रू. 632325/- की राशि कम जमा होने से ब्याज रू. 183374 आरोपित कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकार से पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 6.2.2008 को विधि सम्मत मानते हुए वर्ष 04-05 एवं 05-06 के लिए निर्धारित कम्पोजीशन राशि को सही मानते हुए तीनों अपीलों अस्वीकार कर संयुक्त आदेश दिनांक 27.11.2009 पारित किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2009 से क्षुब्ध होकर ये तीनों अपीलों अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई हैं।

बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी इण्डियन कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत एक प्रा.लि. पंजीकृत कम्पनी है, जिसकी फैक्ट्री आबूरोड जिला सिरोही में है। उनका कथन है कम्पनी द्वारा हवाई चप्पलों का निर्माण एवं विक्रय किया जाता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.07.2004 को हवाई चप्पल पर देय कर के एवज में कम्पोजीशन स्कीम घोषित किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03.03.2004 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचार करने के पश्चात उसे विभाग द्वारा दिनांक 18.8.2004 को कम्पोजीशन प्रमाण जारी किया गया। उनका कथन है कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफडी/टैक्स डिवी/99-229 दिनांक 4.6.99 को कम्पोजीशन स्कीम जारी की गई है, वह निर्धारित राशि वसूली हेतु एक कम्पलीट कोड है। उनका कथन है कि उक्त स्कीम के अन्तर्गत यह प्रावधान नहीं किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी इस स्कीम के अन्तर्गत जारी किये गये प्रमाण पत्र को रिव्यू कर सके अथवा संशोधन कर सके। उनका कथन है कि कम्पोजीशन राशि के सम्बन्ध में एक बार जारी किया गया कम्पोजीशन प्रमाण पत्र अन्तिम है और उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने उक्त कथन के सम्बन्ध में मैसर्स उमा पोलिमर्श बनाम स्टेट आफ राजस्थान (2008) 22 टैक्स अप डेट 109 को उद्धृत किया। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने रिकार्ड से प्रकट भूल मानकर अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत दिनांक 18.08.2004 के आदेश में दिनांक 6.2.2008 को संशोधन किया है, जो अविधिक है, क्योंकि बहस योग्य प्रश्न (Debatable Issue) को अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत संशोधन किया है जो संशोधित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अपने उक्त कथन के समर्थन में कमिश्नर आफ ट्रेड टैक्स, यू.पी. बनाम अरिहन्त ट्रेडिंग (2007) 20 वी एस टी 483 के न्यायिक दृष्टान्त को उद्धृत किया।

उनका कथन है कि राज्य सरकार द्वारा जारी कम्पोजीशन योजना दिनांक 4.6.99 को पांच वर्ष के लिए दिनांक 31.03.2004 तक की अवधि के लिए प्रभावशील थी। तत्पश्चात उक्त योजना के क्लॉज 4.4 के प्रावधानों सपटित अधिसूचना 12.7.2004 के अनुरूप अपीलार्थी व्यवहारी ने नया प्रार्थना पत्र किया, जिसके प्रावधान निम्न प्रकार है :-

"4.4 The Composition shall be renewable each time for a further period of five years on the dealer making an application to the assessing authority on plain paper before thirty days of the expiry of the composition period. The Composition Certificate shall be enclosed with application along with the details of turnover for the composition period. On receipt of the application the assessing authority shall, after making necessary enquiries, determine the composition amount in accordance with clause 2 and renew the Composition Certificate accordingly."

Har




-4-अपील संख्या -63, 64 एवं 65/2010/सिरोही

उनका कथन है कि उक्त क्लॉज 4.4 के अनुसार कम्पोजीशन प्रमाण पत्र पांच वर्ष के लिए जारी किया जाता है तथा 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत किये जाने पर अगले पांच वर्ष के लिए रिन्यू योग्य है। उनका कथन है कि कम्पोजीशन राशि अगले वर्षों के लिए स्कीम के क्लॉज 2 के अनुसार निर्धारित की जायेगी। उन्होंने योजना के क्लॉज 2 (1) की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया कि वर्ष 04-05 के लिए कम्पोजीशन राशि का निर्धारण वर्ष 03-04 जो तात्कालिक वर्ष है, के टर्नओवर को आधार मानकर किया जाना चाहिए तत्पश्चात वर्ष 05-06 के लिए निर्धारित कम्पोजीशन राशि में 110 प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए।

उनका कथन है कि पूर्ववर्ती कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 04-05 के लिए रु. 1901230/- की कम्पोजीशन राशि निर्धारित करने में कोई भूल नहीं की है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 37 का अवलम्ब लेकर जो संशोधन आदेश दिनांक 6.2.2008 पारित किया गया है, वह प्रकरण के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अविधिक होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो अपास्त योग्य है। उन्होंने उक्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित संशोधन आदेश दिनांक 6.2.2008 एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2009 को अपास्त करने का निवेदन किया है।

प्रत्युत्तर में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 6.2.2008 एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश 27.11.2009 का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 4.6.99 के क्लॉज 4.4 में प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् कम्पोजीशन सर्टिफिकेट का नवीनीकरण होगा और नवीनीकरण पर पूर्ववर्ती वर्ष के लिए निर्धारित प्रशमन राशि के आधार पर स्कीम के क्लॉज 2 के अनुसार कम्पोजीशन फीस निर्धारित की जावेगी, के प्रावधानों की ओर ध्यानाकर्षित किया। अतः अपीलार्थी व्यवहारी की वर्ष 04-05 के लिए कम्पोजीशन राशि, वर्ष 03-04 की कम्पोजीशन राशि में 110 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए, निर्धारित नहीं कर गणना की त्रुटि से वर्ष 03-04 के लिए सकल पण्यावर्त को आधार मानकर कर दिया गया था, जो योजना के क्लॉज 2 के अनुरूप नहीं थी। वस्तुतः वर्ष 04-05 हेतु कम्पोजीशन वर्ष 03-04 के कम्पोजीशन राशि को 10 प्रतिशत बढ़ायी जानी थी। अतः यह रिकार्ड से स्पष्ट भूल की श्रेणी में आता है, जिसको संशोधित किया जा सकता है। तदनु रूप प्रकट स्पष्ट भूल है, अतः कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत दिनांक 6.2.2008 को आदेश पारित कर वर्ष 04-05 के लिए पूर्व निर्धारित कम्पोजीशन राशि में रु. 1901230/- से बढ़ाकर रु. 2476071/- कर दिया तथा प्रशमन राशि रु. 574841/- कम जमा होने के कारण ब्याज रु. 235684/- आरोपित



कर दिया तथा इसी प्रकार वर्ष 05-06 में पूर्व निर्धारित कम्पोजीशन राशि रू. 2476071/- से बढ़ा कर 2723678/- कर दिया तथा प्रशमन राशि रू. 632325/- की राशि कम जमा होने से ब्याज रू. 184474 आरोपित किया है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी की वर्ष 04-05 के लिए कम्पोजीशन राशि वर्ष 03-04 की कम्पोजीशन राशि में 110 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए निर्धारित नहीं करके गणना की त्रुटि से वर्ष 03-04 के लिए घोषित टर्नओवर की राशि को आधार मानकर कर दिया गया है। कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार उसके पूर्ववर्ती कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 04-05 के लिए कम्पोजीशन राशि को गणना की त्रुटि से कम निर्धारित करने को रेकार्ड से प्रकट भूल मानकर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत दिनांक 6.2.2008 को आदेश पारित कर वर्ष 04-05 के लिए पूर्व निर्धारित कम्पोजीशन राशि रू. 1901230/- से बढ़ाकर रू. 2476071/- कर दिया तथा प्रशमन राशि रू. 574841/- कम जमा होने के कारण ब्याज रू. 235684/- आरोपित कर दिया तथा इसी प्रकार वर्ष 05-06 में पूर्व निर्धारित कम्पोजीशन राशि रू. 2091353/- से बढ़ा कर 2723678/- कर दिया तथा प्रशमन राशि रू. 632325/- की राशि कम जमा होने से ब्याज रू. 184474/- आरोपित किया है।

प्रकरणों के सम्बन्धित रेकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा चमड़े से निर्मित चप्पलों से भिन्न "वी" आकार के पट्टे वाली हवाई चप्पलों का कारोबार करने वाले व्यवहारियों के लिए जारी प्रशमन स्कीम, 1999 के अन्तर्गत इन हवाई चप्पलों के क्रय और विक्रय पर कर के बदले प्रशमन राशि के संदाय के लिए उक्त स्कीम के उपबन्धों के अनुसार विभाग द्वारा दिनांक 18.8.2004 को पांच वर्षों की अवधि अर्थात् 2004-05 से 2008-09 के लिए प्रशमन प्रमाण पत्र जारी किया गया। दिनांक 18.08.2004 को जारी किये गये प्रशमन प्रमाण पत्र की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि कम्पोजीशन स्कीम, 1999 जरिए राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफडी/टैक्स डिवी/99-229 दिनांक 4.6.99 के क्लॉज 4.4 के अनुसार कर्जॉज 2 के मध्यनजर पिछले वर्ष की प्रशमन राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2003-04 के लिए निर्धारित प्रशमन राशि रू. 2250974/- थी, जिसमें 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाकर वर्ष 04-05 के लिए प्रशमन राशि रू. 2476071/- एवं वर्ष 05-06 के लिए प्रशमन राशि रू. 2723678/-

होनी चाहिए थी जबकि वर्ष 2004-05 के लिए गणना की त्रुटि से प्रशमन राशि रु. 1901230/- ही निर्धारित की गई है, जिसको रेकार्ड से परिलक्षित भूल मानकर कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी करके समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात अधिनियम की धारा 37 के प्रशमन प्रमाण पत्र दिनांक 18.08.2004 में संशोधन करते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 4(4)एफडी/टैक्स डिवी/99-229 दिनांक 4.6.99 के क्लॉज 4.4 सपठित क्लॉज 2.2 के अनुसार पूर्ववती वर्ष की प्रशमन राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 04-05 के लिए प्रशमन राशि रु. 2476071/- एवं वर्ष 05-06 के लिए प्रशमन राशि रु. 2723678/- निर्धारित करते हुए कर एवं ब्याज आरोपित किया है। उक्त बिन्दु के निर्णय हेतु अधिनियम की धारा 37 को उद्धृत किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

"37. Rectification of a mistake -(1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record, any officer appointed or any authority constituted under the Act rectify suo motu or otherwise any order passed by him.


Explanation- A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered in valid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgment of the Supreme Court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.


अधिनियम की उक्त वर्णित धारा के प्रावधानों से स्पष्ट है कि रिकार्ड से परिलक्षित भूल को स्वतः अथवा अन्यथा आदेश पारित किया जाकर संशोधित किया जा सकता है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रशमन प्रमाण पत्र दिनांक 18.08.2004 की जांच पर पाया कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफडी/टैक्स डिवी/99-229 दिनांक 4.6.99 द्वारा कम्पोजीशन स्कीम, 1999 के क्लॉज 4.4 सपठित क्लॉज 2.2 के अन्तर्गत पिछले वर्ष की प्रशमन राशि में 10 प्रतिशत से वृद्धि किये जाने का प्रावधान विद्यमान है, जिसकी गणना में भूल रही है, उसको रिकार्ड से परिलक्षित भूल मानते हुए अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत संशोधन करते हुए अधिसूचना संख्या एफ. 4(4)एफडी/टैक्स डिवी/99-229 दिनांक 4.6.99 के क्लॉज 4.4 के अनुसार पूर्ववती वर्ष की प्रशमन राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 04-05 के लिए प्रशमन राशि रु. 2476071/- एवं वर्ष 05-06 के लिए प्रशमन राशि रु. 2723678/- निर्धारित करके कर एवं ब्याज का आरोपण कर भूल सुधार की है, जो विधि सम्मत है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों का अपने आदेश दिनांक 27.11.2009 में समावेश करते हुए विस्तृत आदेश पारित कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.2.2008 को उचित ठहराया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-7-अपील संख्या -63, 64 एवं 65/2010/सिरोही

फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2009 को यथावत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया ।


24.2.2014
(मदन लाल)
सदस्य


(सुनील शर्मा)
सदस्य